कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोण्डा

पत्रांक–स0शि0/के0जी0बी0वी0/नियुक्ति/ /2023–24 दिनांक– 18 मई, 2023

विज्ञप्ति

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ के पत्र सं0–के0जी0बी0वी0/11308/2022–23 दिनांक : 14.02.2023 एवं अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–बे0शि0 अनुभाग–5/1553/68–5–2020 दिनांक : 11 दिसम्बर, 2020 के अनुपालन में जनपद में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में पूर्ण कालिक शिक्षिका, अंश कालिक शिक्षिका, उर्दू शिक्षिका एवं सहायक रसोईयां के पदों पर नियुक्ति (संविदा आधारित) हेतु वर्णित अर्हताधारी अभ्यार्थियों से शैक्षिक सत्र 2023–24 में कार्य करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर **दिनांक 5-6-2023 को 5.00 PM बजे** तक कार्यालय समग्र शिक्षा, विकास भवन, गोण्डा में निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जाते है। पंजीकृत डाक के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। रिक्त पदों का विवरण, आवेदन पत्रों का प्रारूप एवं दिशा–निर्देश **http://gonda.nic.in** पर भी उपलब्ध है।

पद का नाम	रिक्त पदों की आरक्षित श्रेणी			योग	विषय एवं न्यूनतम अर्हता	प्रतिमाह मानदेय (रू0)	आयु (वर्षों में) दिनांक 01.04.2023 को	शैक्षिक योग्यता
	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति					
पूर्ण कालिक शिक्षिका	1	1	0	2	भाषा (हिन्दी एवं संस्कृत से स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0)	22000–00	25–45 वर्ष	प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0
	1	0	1	2	सामाजिक विषय (भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र मे से किसी एक विषय से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0)			
	5	2	4	11	विज्ञान (जेड0बी0सी0 से प्रशिक्षित स्नातक एवं उ0प्रा0 स्तर की टी0ई0टी0)			
	8	4	4	16	गणित (पी0सी0एम0 वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उ0प्रा0 स्तर की टी0ई0टी0)			
	6	4	2	12	अंग्रेजी (अंगेजी से प्रशिक्षित स्नातक एवं उ0प्रा0 स्तर की टी0ई0टी0)			
	21	11	11	43	योग			
अंश कालिक शिक्षिका	4	3	1	8	कला काफ्ट एंव संगीत/गृह शिल्प (स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि)	9800–00	25–45 वर्ष	प्रशिक्षित स्नातक
	5	5	4	14	कम्प्यूटर (प्रशिक्षित स्नातक)			
	0	5	0	5	स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा (बी0पी0एड0, सी0पी0एड0 एवं डी0पी0एड0 आदि उपाधि			प्रशिक्षित स्नातक
	9	13	5	27	योग			

ऊर्दू शिक्षक / शिक्षिका	1	1	1	3	ऊर्दू (बी0ए0 ऊर्दू विषय से तथा एल0टी0 या0 बी0टी0 या बी0एड0 या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा)	13200—00	25—45 वर्ष	प्रशिक्षित स्नातक
सहायक रसाईयां (कक्षा—8)	1	0	0	1	कक्षा—8	5175—00	25—45 वर्ष	कक्षा—8 केवल महिला अभ्यर्थी (पाक कला में ज्ञान निपुर्ण)
कुल योग	32	25	17	74	—	—	—	—

नियम व शर्ते:—

1. रिक्त पदों की संख्या घट—बढ़ सकती है।
2. कम्प्यूटर शिक्षक के लिए प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्य बी0एड0 / एल0टी0 समकक्ष इत्यादि प्रशिक्षण सम्मलित है। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर शिक्षण हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 / बी0सी0ए0 / बी0एस0सी0 कम्प्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 या समकक्ष संस्था से ओ लेवल / ए लेवल डिप्लोमा आदि शैक्षिक योग्यता अनिवार्य है।
3. कला काफ्ट एवं संगीत आदि विषयों के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि होगी तथा गृह शिल्प के लिए शिक्षिका का पद कला काफ्ट एवं संगीत के पद के अन्तर्गत ही माना जाएगा।
4. शासनादेश सं0 : 68—5099 / 37 / 2023 दिनांक : 20 अप्रैल, 2023 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत रिक्त समस्त पदों पर केवल महिला अभ्यर्थियों का ही चयन किया जायेगा।
5. सहायक रसोईयां के पद हेतु शैक्षिक योग्यता कक्षा—8 उत्तीर्ण होगी तथा शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। सहायक रसाईयां पद पद पूर्ण कालिक है, इनके लिए महिला होना एवं विद्यालय में निवास करना अनिवार्य होगा। सहायक रसोइयां का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा।
6. दिनांक 01.04.2023 को न्यूनतम् आयु 25 वर्ष तथा अधिकतम् आयु 45 वर्ष से अधिक न हों।
7. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रविधान के अनुसार आरक्षण जनपद स्तर पर देय होगा।
8. सामान्य वर्ग में EWS के अन्तर्गत आने वाले अभ्यार्थियों को नियमानुसार आरक्षण देय होगा, जिसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के ऐसे शिक्षक / शिक्षिका जो निर्धारित अर्हता रखतें हो, किन्तु शैक्षिक वर्ष 2020—21 में नवीन संविदा से वंचित हो जा रहे है, उनके द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में आवेदन करने पर उन्हें चयन हेतु आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जायेगी। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि आयु 60 वर्ष से अधिक न हो।
10. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के ऐसे शिक्षक / शिक्षिका जो शैक्षिक सत्र 2020—21 में नवीन संविदा से वंचित हो गये है उनके द्वारा आवेदन करने पर उन्हें कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में की गयी सेवा अवधि के प्रत्येक सम्पूर्ण शैक्षिक वर्ष के लिए 02 प्रतिशत अतिरिक्त भारांक दिया जायेगा। अधिकतम् भारांक 30 अंक से अधिक देय नहीं होगा। इसके लिए सम्बन्धित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। उन्हें चयन हेतु शैक्षिक अर्हता में शासनादेश सं0— के0जी0बी0वी0 / 2—3 / 1916 / 2020—21 दिनांक 29.07.2013 के पूर्व कार्यरत शिक्षकों के लिए टी0ई0टी0 की अर्हता अनिवार्य नही होगी।
11. भरे हुए आवेदन पत्र समस्त स्वप्रमाणित संलग्नकों की छायाप्रति सहित पंजीकृत डाक से **जिला परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, विकास भवन, गोण्डा में दिनांक** 5-6-23 **की** 5:00PM **बजे तक** ही स्वीकार किये जाएगें। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा।
12. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप सहित समस्त आवश्यक जानकारियां http://gonda.nic.in पर भी उपलब्ध है। विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप जिलाधिकारी कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, उप जिलाधिकारी कार्यालय तथा समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जनपद गोण्डा के सूचना पट्ट पर चस्पा है।
13. आवेदक आवेदन पत्र के साथ पंजीकृत 42—42 रूपये के डाक टिकट लगे हुए 02 लिफाफे जिस पर अभ्यार्थी का नाम, पता, मोबाइल नम्बर व पिन कोड स्पष्ट लिखा हो संलग्न करना अनिवार्य होगा।
14. उक्त सभी नियुक्तियां विशेष अनुज्ञा याचिका सं0—13553 / 2022 स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाम सरोज मौर्या व अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम आदेश के अधीन होगी।
15. उपरोक्त विज्ञप्ति को किसी भी समय यथावश्यकता निरस्त करने का अधिकार समिति का होगा, जिसपर कोई भी दावा स्वीकार नही होगा।
16. अपूर्ण / हस्ताक्षर रहित / साधारण डाक से प्राप्त / कटिंग / ओवरराइटिंग / निर्धारित प्रारूप से इतर एवं वांछित प्रमाण पत्र संलग्न न होने आदि की दशा में आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित आवेदक का होगा।
17. चयन के सम्बन्ध में जिला स्तरीय चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

18. किसी भी सेवा से बर्खास्त, नैतिक/चारित्रिक अधमता के अपराध के लिए दोष सिद्ध एवं दिवालिया व्यक्ति चयन के लिए अर्ह नहीं होंगें।
19. चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का सत्यापन अनिवार्यतः कराया जाएगा। चयन के पूर्व या पश्चात किसी भी प्रमाण पत्र/कागजात के फर्जी/कूटरचित पाए जाने की दशा में सम्बन्धित आवेदक के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करायी जाएगी।
20. शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर सभी कर्मचारी 11 माह 29 दिन के अनुबंध पर रखे जाऐंगें। यह अनुबंध कार्य का होगा। इनके कार्य एवं व्यवहार का वार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा, जिसको अच्छा पाए जाने पर जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरांत उनकी संविदा का नवीनीकरण किया जाएगा।
21. शैक्षिक स्टाफ यथा पूर्ण कालिका शिक्षिका, उर्दू शिक्षिका एवं अंश कालिक शिक्षिका के पद पर चयन सीधे मेरिट के आधार पर किया जायेगा।
22. चयनित अभ्यार्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

<u>संलग्नकः–आवेदन पत्र का प्रारूप।</u>

(अखिलेश प्रताप सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोण्डा

पृ०स० : स०शि०/के०जी०बी०वी०/नियुक्ति/ 1301-1311 /2023–24 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. राज्य परियोजना निदेशक (स०शि०अ०) विद्याभवन, निशातगंज, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, गोण्डा।
3. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, गोण्डा।
4. उप शिक्षा निदेशक/प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गोण्डा से अनुरोध है कि प्रकाशित विज्ञप्ति को ब्लाक मुख्यालय पर चस्पा करवाने का कष्ट करें।
5. उप जिलाधिकारी, गोण्डा से अनुरोध है कि प्रकाशित विज्ञप्ति को ब्लाक मुख्यालय पर चस्पा करवाने का कष्ट करें।
6. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, गोण्डा से अनुरोध है कि प्रकाशित विज्ञप्ति को ब्लाक मुख्यालय पर चस्पा करवाने का कष्ट करें।
8. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, गोण्डा को इस निर्देश के साथ कि प्रकाशित विज्ञप्ति को अपने ब्लाक संसाधन केन्द्र पर चस्पा करायें।
9. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, गोण्डा को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को http://gonda.nic.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण, अमर उजाला, अमृत विचार, हिन्दुस्तान को इस आशय से प्रेषित की दिनांक 2 मई 2023 के अंक में उक्त विज्ञप्ति को पठनीय व न्यूनतम राजकीय दरों पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।
11. कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोण्डा।

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय-गोण्डा में संविदा पर चयन हेतु आवेदन पत्र

वर्ष 2023-24

1. आवेदित पद का नाम.......................................विषय का नाम.......................................
2. अभ्यर्थी/अभ्यार्थियों का नाम-(अंगेजी के बड़े अक्षर में)..
   (हिन्दी में)..
3. जन्मतिथि...............................आयु 01.04.2023 को आयु...................वर्ष.............माह..............दिन..............
4. पिता/पति का नाम ....
5. आरक्षित श्रेणी (अनारक्षित/अन्य पिछड़ा जाति/अनु0जाति/अनु0जन0जाति)..........................
   (सक्षम अधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करें)
6. पत्राचार का पता...
   पिन कोड..दूरभाष...
7. स्थाई पता...
   पिन कोड..............................दूरभाष......................................ई-मेल..
8. आधार कार्ड सं0..9 .लिंग (पुरूष/ महिला)...............................
10. शैक्षिक योग्यता..

क्र0सं0	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि0वि0 का नाम	वर्ष	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत/ग्रेड
1	कक्षा-8						
2	हाई स्कूल						
3	इण्टरमीडिएट						
4	स्नातक						
5	प्रशिक्षित स्नातक						
6	टी0ई0टी0 (जूनियर स्तर)						
7	भारांक (के0जी0बी0वी0 में शिक्षक के रूप में कार्यरत अनुभव)						
8	अन्य योग्यता						
	योग						

11. अनुभव यदि कोई हो तो प्रमाण पत्र संलग्न करें तथा विवरण दें।
12. क्या किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा कभी आपको दंडित किया गया है, यदि हॉ तो पूर्ण विवरण दें:-

घोषणा

मैं...पुत्री/पत्नी..यह घोषणा करती हूँ कि मेरे आवेदन पत्र में उक्तवत् दिए गए विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतया सत्य हैं तथा इसमें किसी भी प्रकार का तथ्यगोपन नहीं किया गया है। चयन के पूर्व या चयन के पश्चात् जॉचोपरांत् कोई भी तथ्य/संलग्न प्रमाण पत्र, फर्जी/कूटरचित पाए जाने पर मेरा अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जावे, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी तथा इस सम्बन्ध में जिला चयन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। चयनोपरांत मैं अपनी सेवा के निमित्त विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय ही प्राप्त करूँगी एवं स्वार्थवश कोई उजदारी नहीं करूँगी।

अभ्यर्थी का पूर्ण हस्ताक्षर

दिनांक:-...........................

संलग्नक:-

दिनांक व स्थान ....

संख्या– 1553/68–5–2020

प्रेषक

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

D4-7778
29.12.20

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति,
समस्त जनपद, उ0प्र0 (कानपुर नगर एवं औरैया को छोड़कर)।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः 11 दिसम्बर, 2020

विषयः– **कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक व शिक्षणेत्तर कर्मियों के नवीन चयन/पदस्थापन/संविदा के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विद्यमान विसंगतियों के निराकरण सम्बन्धी शासनादेश संख्या–625/68–5–2020, दिनांक 30.06.2020 एवं तत्क्रम में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या–के0जी0बी0वी0/2302/2020–21, दिनांक 14.07.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाओं के मूल अभिलेखों का नियुक्ति के समय प्रस्तुत किये गये अभिलेखों से मिलान कर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करते हुए नवीन संविदा किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के कार्मिकों की नवीन संविदा की कार्यवाही उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार जनपदों में गतिमान है।

UICC KGBV
नियमानुसार
आवश्यक

DGBE
21/12/2020

2– **वर्तमान में प्रदेश में (कक्षा 6 से 8 तक) संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका** विद्यालयों में वार्डेन, पूर्णकालिक शिक्षिका एवं अंशकालिक शिक्षक/ शिक्षिका के लगभग 1000 से अधिक पद रिक्त हैं। कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों के चयन हेतु पूर्व में निर्गत समस्त निर्गत आदेशों को अवक्रमित करते हुए वर्ष 2020–21 में विद्यालयों का संचालन तथा शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों का नवीन चयन/पदस्थापन/संविदा के सम्बन्ध में निम्नवत् दिशा–निर्देश प्रदान किये जाते हैं :–

(1) <u>जनपदीय चयन समिति</u> :

कस्तूरबा गॉधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों के चयन की कार्यवाही मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में निम्नलिखित जनपदीय समिति द्वारा सम्पादित की जायेगीः–

30/12/2020

क0सं0	समिति	धारित पद
1.	मुख्य विकास अधिकारी (सम्बन्धित जनपद)	अध्यक्ष
2.	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (सम्बन्धित जनपद)	सदस्य
3.	जिला विद्यालय निरीक्षक (सम्बन्धित जनपद)	सदस्य
4.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (सम्बन्धित जनपद)	सदस्य सचिव
5.	जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित राजकीय बालिका इण्टर/राजकीय इण्टर कालेज/सहायता प्राप्त इण्टर	सदस्य

	कालेज के मनोविज्ञान की शिक्षक / शिक्षिका	
6.	जिलाधिकारी / अध्यक्ष जिला शिक्षा एवं परियोजना समिति द्वारा नामित एक अधिकारी	सदस्य

अग्रेतर यह उल्लेखनीय है कि उक्त समिति द्वारा की गयी चयन की कार्यवाही पर जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(2) पदों का विवरण :

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक F.No1-1/2020-IS-6 दिनांक 25 अगस्त 2020 द्वारा वर्ष 2020–21 हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों के स्वीकृत पदों का विवरण निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	स्वीकृत पद का नाम	पदों की संख्या	
		मॉडल–I (100 बालिकाओं हेतु)	मॉडल–II (50 बालिकाओं हेतु)
1	वार्डन कम शिक्षिका	1	1
2	पूर्ण कालिक शिक्षिका	4	3
3	उर्दू शिक्षक / शिक्षिका	1	– *
4	अंश कालिक शिक्षक / शिक्षिका	3	3
5	पूर्णकालिक लेखाकार	1	1
6	मुख्य रसोईया	1	1
7	सहायक रसोईया	2	1
8	चपरासी	1	1
9	चौकीदार	1	1
	कुल योग	15	12

*मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक F.No1-1/2020-IS-6 दिनांक 25 अगस्त 2020 द्वारा मॉडल–I के लिए 347 विद्यालयों हेतु एवं मॉडल–II में केवल जनपद मुजफ़्फ़रनगर के 04 के0जी0बी0बी (चरथावल, जानसठ, मोरना एवं पुरकाजी) में उर्दू भाषा के शिक्षण हेतु 01 उर्दू शिक्षिक / शिक्षिका का चयन स्वीकृत विद्यालयों में किया जाये, "प्रतिबन्ध" यह है कि जिन विकास खण्ड़ों में 20 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम आबादी हो, उन्ही के0जी0बी0वी0 में उर्दू शिक्षिक / शिक्षिका का नवीन चयन किया जाये।

उपरोक्त पदों के सापेक्ष नवीन चयन मॉडल–I के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विषयवार व्यवस्था निम्नवत् की जायेगी :–

विषय	पद	मॉडल–I हेतु पदों की संख्या		
		पूर्णकालिक	उर्दू	अंशकालिक
गणित (पी0सी0एम0 वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0)	पूर्णकालिक	01	—	—
विज्ञान (जेड0बी0सी0 वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0)	पूर्णकालिक	01	—	—
भाषा (हिन्दी एवं संस्कृत से स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0)	पूर्णकालिक	01	—	—
सामाजिक विषय (भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय से	पूर्णकालिक	01	—	—

प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0)				
अंग्रेजी (अंग्रेजी से स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0)	पूर्णकालिक	01	—	—
उर्दू – बी0ए0 उर्दू विषय से तथा एल0टी0 या बी0टी0 या बी0एड0 या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा	उर्दू	—	01	—
कम्प्यूटर प्रशिक्षित स्नातक	अंशकालिक	—	—	01
स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा– बी0पी0एड0 सी0पी0एड एवं डी0पी0एड0 आदि उपाधि	अंशकालिक	—	—	01
कला, काफ्ट एवं संगीत / गृह शिल्प	अंशकालिक	—	—	01
कुल पद		05	01	03

उपरोक्त पदों के सापेक्ष नवीन चयन मॉडल-II के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विषयवार व्यवस्था निम्नवत् की जायेगी :–

विषय	पद	मॉडल–I हेतु पदों की संख्या		
		पूर्णकालिक	उर्दू	अंशकालिक
गणित (पी0सी0एम0 वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0)	पूर्णकालिक	01	—	—
विज्ञान (जेड0बी0सी0 वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0)	पूर्णकालिक	01	—	—
भाषा (हिन्दी–संस्कृत एवं अंग्रेजी में से न्यूनतम एक वर्ग में प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0)	पूर्णकालिक	01	—	—
सामाजिक विषय (भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0)	पूर्णकालिक	01	—	—
उर्दू – बी0ए0 उर्दू विषय से तथा एल0टी0 या बी0टी0 या बी0एड0 या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा	उर्दू	—	01	—
कम्प्यूटर प्रशिक्षित स्नातक	अंशकालिक	—	—	01
स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा– बी0पी0एड0 सी0पी0एड एवं डी0पी0एड0 आदि उपाधि	अंशकालिक	—	—	01
कला, काफ्ट एवं संगीत / गृह शिल्प	अंशकालिक	—	—	01
कुल पद		04	01	03

उल्लेखनीय है कि वार्डेन कम शिक्षिका के रिक्त पद पर नवीन चयन नही किया जायेगा। उक्त के स्थान पर रिक्त विषय के सापेक्ष पूर्णकालिक शिक्षिका मानदेय रू0 22000 /– पर चयन किया जाये तथा सम्बन्धित के0जी0बी0वी0 में वरिष्ठतम पूर्णकालिक शिक्षिका (अनुभव के आधार पर) द्वारा सम्बन्धित के0जी0बी0वी0 में वार्डेन के कार्य एवं दायित्वों का सम्पादन किया जायेगा।

- कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालय (कक्षा 6 से 8 तक) का पाठ्यकम बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों के समरूप है। निःशुल्क और

अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 19 एवं 25 में वर्णित मान एवं मानको की अनुसूची के अनुसार शिक्षक/शिक्षिका का चयन किया जाये।

- नवीन चयन में यह सुनिश्चित किया जाये कि पूर्णकालिक शिक्षिका का चयन मुख्य विषयों के लिए यथा गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय, अंग्रेजी एवं भाषा (हिन्दी एवं संस्कृत हेतु 01 शिक्षिका) तथा अंशकालिक शिक्षक/शिक्षिका का चयन पाठ्य सहगामी विषयों यथा कम्प्यूटर, स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा तथा कला काफ्ट एवं संगीत के लिए किया जाए।
- नवीन चयन में यह सुनिश्चित किया जाये कि विषयवार निर्धारित अर्हता के सापेक्ष ही अभ्यर्थी का चयन/पदस्थापन किया जाये। उक्त से विचलन किसी भी दशा में न किया जाये। चयन समिति अनुगन्य पदों पर चयन के समय विषयों की निर्धारित अर्हता ध्यान रखेगी।
- मॉडल-I एवं मॉडल-II में उर्दू भाषा के शिक्षण हेतु 01 उर्दू शिक्षिक /शिक्षिका का चयन केवल भारत सरकार द्वारा स्वीकृत विद्यालयों में किया जाये, "प्रतिबन्ध" यह है कि जिन विकास खण्डों में 20 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम आबादी हो, उन्ही के0जी0बी0वी0 में उर्दू शिक्षिक /शिक्षिका का नवीन चयन किया जाये।

(3) <u>अर्हता :–</u>

- पूर्णकालिक शिक्षिकाओं के पदों के लिए निर्धारित योग्यता उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0 एवं प्रशिक्षित स्नातक होगी। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्य बी0एड0/समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जायेगा।
- अग्रेतर उल्लेखनीय है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के ऐसे शिक्षक/शिक्षिका जो शैक्षिक वर्ष 2020–21 में नवीन संविदा से वंचित हो रहे हैं, उन शिक्षकों द्वारा कस्तूरबा गॉधी बालिका विद्यालयों में रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में प्रदेश के किसी भी जनपद में आवेदन करने पर, उन्हे चयन हेतु शैक्षिक अर्हता में शासनादेश संख्या के0जी0बी0वी0/3–2/1916/2013–14 दिनांक 29–07–2013 के पूर्व कार्यरत शिक्षको के लिए टी0ई0टी0 की अर्हता अनिवार्य नहीं होगी।
- उर्दू शिक्षक/शिक्षिका हेतु निर्धारित योग्यता बी0ए0 उर्दू विषय से तथा एल0टी0 या बी0टी0 या बी0एड0 या अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा होगी।
- कम्प्यूटर शिक्षक/शिक्षिका के लिए प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्य बी0एड0/समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षित सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर शिक्षण हेतु पी0जी0डी0 सी0ए0/ बी0सी0ए0/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 या समकक्ष संस्था से "ओ लेवल"/ए लेवल डिप्लोमा आदि शैक्षिक योग्यता भी वांछित होगी।
- कला, काफ्ट एवं संगीत आदि विषयों के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि होगी तथा गृह शिल्प के शिक्षक/शिक्षिका का पद कला, काफ्ट एवं संगीत के पद के अन्तर्गत ही माना जायेगा।
- बी0पी0एड0, सी0पी0एड0 तथा डी0पी0एड0 आदि उपाधियां केवल शारीरिक शिक्षा के अध्यापन हेतु मान्य होंगी किन्तु शारीरिक शिक्षा पद पर चयन हेतु बी0पी0एड0, सी0पी0एड0 तथा डी0पी0एड0 अभ्यर्थियों हेतु टी0ई0टी0 अनिवार्य नहीं होगी।

- पूर्णकालिक शिक्षिका, लेखाकार, रसोइया एवं सहायक रसोइया के पद पर महिला अभ्यर्थियों का ही नवीन चयन किया जायेगा
- लेखाकार के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक वाणिज्य होगी तथा एम0एस0ऑफिस पर कार्य का ज्ञान अनिवार्य होगा। डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 या समकक्ष संस्था से कम्प्यूटर शिक्षा में 'ओ' लेवल डिप्लोमा अथवा समकक्ष अन्य योग्यता की दशा में अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जायेगी।
- मुख्य रसोईया / सहायक रसोईया / चपरासी / चौकीदार हेतु शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण होगी तथा अभ्यर्थी को शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। मुख्य रसोईया एवं सहायक रसोईया का पद पूर्णकालिक है। इनके लिए महिला होना तथा विद्यालय में निवास करना अनिवार्य है।

(4) <u>आयु</u> :

- समस्त स्टाफ की न्यूनतम आयु चयन वर्ष की 01 अप्रैल को 25 वर्ष होगी।
- समस्त स्टाफ की अधिकतम आयु चयन वर्ष की 01 अप्रैल को 45 वर्ष से अधिक न हो।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के ऐसे शिक्षक / शिक्षिका जो निर्धारित अर्हता रखते हों, किन्तु शैक्षिक वर्ष 2020–21 में नवीन संविदा से वंचित हो जा रहे हैं, उन शिक्षकों द्वारा कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में प्रदेश के किसी भी जनपद में आवेदन करने पर, उन्हे चयन हेतु आयु सीमा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत रहने की अवधि के समतुल्य छूट प्रदान की जाये, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिका की आयु 60 वर्ष से अधिक न हो।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में सेवा हेतु समस्त स्टाफ की अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी।

(5) <u>आरक्षण</u> – राज्य सरकार के निर्धारित प्राविधानों के अनुसार आरक्षण देय होगा।

(6) <u>चरित्र</u> – किसी सेवा से बर्खास्त, नैतिक / चारित्रिक अधमता के अपराध के लिए दोष सिद्ध एवं दिवालिया व्यक्ति चयन के लिए अर्ह नहीं होंगे। चयन समिति अभ्यर्थी के चरित्र के सम्बन्ध में यथोचित समाधान करेगी।

(7) <u>चयन प्रकिया</u> :–

- कम से कम दो समाचार पत्रों में पदों का विज्ञापन किया जाय, जिसमें एक समाचार पत्र राष्ट्रीय स्तर तथा एक समाचार पत्र प्रदेश / जनपद स्तर पर पर्याप्त प्रचलन में हो, किया जाय। आवेदन हेतु 15 दिन का समय प्रदान किया जायेगा। विज्ञापन को जनपद की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा। चयन का विज्ञापन जनपद के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, उपजिलाधिकारी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों में अवश्य चस्पा किया जाये।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के ऐसे शिक्षक / शिक्षिका जो शैक्षिक सत्र 2020–21 में नवीन संविदा से वंचित हो रहे हैं, उनके द्वारा कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में प्रदेश के किसी भी जनपद में आवेदन करने पर, उन्हे कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में की गयी सेवा अवधि के प्रत्येक सम्पूर्ण शैक्षिक वर्ष के लिए 2 प्रतिशत अतिरिक्त

भारांक दिया जाये, किन्तु, अधिकतम भारांक 30 प्रतिशत से अधिक नही दिया जाएगा।

- शिक्षिको के चयन हेतु रिक्तियों का आगणन पदवार/विषयवार/वर्गवार जनपद स्तर पर किया जायेगा। तदनुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए पदवार /विषयवार/वर्गवार पृथक-पृथक श्रेष्ठता सूची (मेरिट लिस्ट) बनायी जायेगी।
- शिक्षणेत्तर स्टाफ के चयन हेतु आवेदन आंमत्रण की प्रकिया शिक्षकों के लिए निर्धारित प्रक्रिया के समान होगी।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक स्टाफ यथा पूर्णकालिक शिक्षिका, उर्दू शिक्षक/शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षक/शिक्षिका तथा लेखाकार के पद पर चयन सीधे मेरिट के आधार पर किया जायेगा। पूर्णकालिक शिक्षिका, उर्दू शिक्षक/शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षक/शिक्षिका तथा लेखाकार के पद हेतु अभ्यर्थी के चयन के लिए भारांक के अंको का निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा:-

क्र.सं.	परीक्षा/उपधि का नाम	गुणवत्ता अंक
1	हाईस्कूल	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X 10/100
2	इण्टरमीडिएट	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X 10/100
3	स्नातक उपाधि	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X 20/100
4	प्रशिक्षण	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत X 30/100
5	भारांक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत अनुभव	प्रत्येक पूर्ण अध्यापन वर्ष के लिए 2 अंक, अधिकतम 30 अंक तक, जो भी कम हो

नोट-

(क) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक समान हो तो ऐसे अभ्यर्थी का नाम, जो आयु में ज्येष्ठ हो, सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा।

(ख) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक और आयु समान हो तो अभ्यर्थी का नाम, अंग्रेजी वर्णमाला कम के अनुसार सूची में रखा जायेगा।

- रसोईया, सहायक रसोईया, चपरासी एवं चौकीदार के पद पर शैक्षिक अभिलेखो के आधार पर चयन का औचित्य नही है। अतः उक्त पदों पर चयन साक्षात्कार द्वारा किया जायेगा।
- सत्यापन- शिक्षक/शिक्षणेत्तर स्टाफ की नवीन चयन के पश्चात सम्बन्धित कार्मिक द्वारा चयन के समय प्रस्तुत प्रमाण पत्रों का सम्बन्धित बोर्ड/परीक्षा संस्था से सत्यापन कराते हुए आधार एवं निवास प्रमाण पत्र का सत्यापन अनिवार्यतः कराया जाय। सत्यापनोपरान्त सम्बन्धित के निम्नलिखित मूल अभिलेखों को जिला परियोजना कार्यालय में अनिवार्य रूप से सुरक्षित/संरक्षित किया जाये तथा सत्यापनोपरान्त ही मानदेय का भुगतान किया जाये :-

1. हाईस्कूल का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र।
2. इण्टर मीडिएट का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र।
3. स्नातक का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र।
4. बी०एड० /बी०पी०एड० /सी०पी०एड० /डी०पी०एड० /अन्य प्रशिक्षण उपाधि /परीक्षा का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र।

5. टी0ई0टी0 उत्तीर्ण का अंक पत्र।

6. मूल निवास प्रमाण पत्र (जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित)।

7. आधार कार्ड (जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित)।

- कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों के स्टाफ के चयन की प्रक्रिया में काउन्सलिंग समिति में एक मनोवैज्ञानिक को विशेषज्ञ के रूप में सम्मिलित किया जाये ताकि अभ्यर्थियों की मनोदशा एवं दृष्टिकोण की परख भी की जा सके।
- रसोईया एवं सहायक रसोईया का पद पूर्णकालिक होगा तथा इनका साक्षात्कार 50 अंकों का होगा, जिसमें शारीरिक क्षमता हेतु 20 अंक, पाक विद्या के ज्ञान हेतु 20 अंक तथा अनुभव हेतु 10 अंक निर्धारित होंगे।
- चपरासी एवं चौकीदार का पद पूर्णकालिक होगा तथा इनके साक्षात्कार के लिए 50 अंक निर्धारित होंगे, जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य हेतु 25 अंक तथा सामान्य ज्ञान हेतु 25 अंक निर्धारित होंगे।
- चयन समिति द्वारा प्रत्येक रिक्त पद के सापेक्ष 05 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी, जिसे आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जा सके। **शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पदों हेतु प्रतीक्षा सूची जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान करने की तिथि से एक वर्ष तक मान्य होगी।**
- शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची (प्रतीक्षा सूची सहित) का जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। तत्पश्चात पद रिक्त होने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची से जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सदस्य सचिव द्वारा विद्यालयों में शैक्षिक/शिक्षणेत्तर कार्मिकों का पदस्थापन किया जायेगा। चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा किया जायेगा।
- उक्त समिति द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में चयनित अभ्यर्थियों की पृथक–पृथक श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विषयवार रिक्त पदों की सूची नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी, जिसके सापेक्ष समस्त चयनित अभ्यर्थियों को विकल्प चयन का अवसर प्रदान किया जायेगा।
- सर्वप्रथम विकलांग महिला अभ्यर्थियों को उनके श्रेष्ठता क्रम के अनुसार काउन्सलिंग कराने हेतु चयन समिति के सम्मुख विद्यालय चयन का विकल्प प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जायेगा। चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों के सम्मुख नोटिस बोर्ड पर चस्पा विद्यालय की सूची के समरूप सूची रखी जायेगी। उक्त सूची में से अभ्यर्थी एक रिक्त विद्यालय के सम्मुख अपना नाम विषय एवं हस्ताक्षर अंकित करेगा। उक्त प्रक्रिया प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण की जायेगी।
- उक्त प्रक्रिया से काउन्सलिंग के माध्यम से प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी से विकल्प प्राप्त किये जायेंगे। मेरिट के आधार पर विकल्प सूची से विद्यालय आवंटित किये जायेगे। चयनित अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय का विकल्प नहीं देने की स्थिति में समिति द्वारा उक्त अभ्यर्थी का उपलब्ध विद्यालय में पदस्थापन की कार्यवाही की जायेगी।

- जनपदीय समिति के प्रस्ताव पर जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरांत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/सचिव, चयन समिति द्वारा नियुक्ति पत्र उसी तिथि को निर्गत किये जायेंगे।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्मिकों के चयन/नियुक्ति की कार्यवाही प्रत्येक दशा में 15 दिसम्बर, 2020 तक पूर्ण कर ली जाये। नवीन चयन 11 माह 29 दिन के लिए किया जायेगा।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में नवीन चयन की कार्यवाही वर्ष 2020–21में शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ के नवीन संविदा होने के पश्चात स्पष्ट रिक्त पदों पर की जायेगी।

(8) नवीन संविदा

- प्रत्येक शैक्षिक सत्र में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के समस्त पद मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की प्रोजेक्ट अप्रूवल बैठक में दिये गये निर्देशो के अधीन होगें।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों का सेवा अनुबन्ध 11 माह 29 दिन के लिए किया जायेगा।
- कार्यरत वार्डेन/शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का व्यवहार संतोषजनक पाया जाता है तो आगामी सत्र हेतु जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त नवीन संविदा की जायेगी।
- कार्यरत वार्डेन, पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षक/शिक्षिका एवं उर्दू शिक्षक/शिक्षिका के कार्य व्यवहार एवं शैक्षिक प्रगति का वार्षिक मूल्यांकन सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक बालिका शिक्षा द्वारा किया जायेगा।
- मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, चौकीदार एवं चपरासी के कार्य एवं व्यवहार का वार्षिक मूल्यांकन जिला समन्वयक बालिका शिक्षा एवं वार्डेन द्वारा किया जायेगा।
- लेखाकार के कार्य एवं व्यवहार का वार्षिक मूल्यांकन सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी एवं जिला समन्वयक बालिका शिक्षा द्वारा किया जायेगा।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में चयनित शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों से प्रतिवर्ष नवीन संविदा हेतु अनुबन्ध पत्र भराया जायेगा। सेवा अनुबन्ध की कार्यवाही प्रतिवर्ष उक्त जनपदीय समिति के सदस्य सचिव द्वारा 15 फरवरी तक पूर्ण किया जायेगा।
- किसी कर्मी की सेवायें संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में मूल्यांकन कर्ता अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कर्मी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के उपरान्त प्राप्त उत्तर के आधार पर पत्रावली में उन परिस्थितियों का साक्ष्य सहित स्पष्ट आकलन किया जायेगा तथा जिलाधिकारी के समक्ष युक्ति युक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा।
- सेवा अनुबन्ध में यह प्राविधान किया जाये कि यदि उसकी सेवाएं अनुपयुक्त पायी जाती हैं तो उन्हें एक माह का नोटिस देकर सेवाओं को समाप्त कर दिया जायेगा। गम्भीर परिस्थितियों/वित्तीय अनियमितता/गंभीर अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न

होती है तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत पुष्ट प्रमाणों के आधार पर जिलाधिकारी के अनुमोदनार्थ संविदा समाप्त करते हुए सम्बन्धित के विरुद्ध प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जाये।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही समयबद्ध रूप से कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव ।

संख्या: 1552(1)/68–5–2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।

2– राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।

3– मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

4– शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0 लखनऊ।

5– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।

6– मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।

7– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद (कानपुर नगर एवं औरैया को छोड़कर), उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि वर्ष 2020–21 में संविदा होने के पश्चात उपर्युक्त निर्देशों के कम में रिक्त पदों को एक माह के अन्दर पूर्ण कराने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी।

8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनीष कुमार वर्मा)
विशेष सचिव ।